[1]प्ररूप सं. 10घक

[नियम 19कख देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जजकक के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/हमने *31 मार्च, ... को समाप्त हुए वर्ष के दौरान .... के कारबार में लगे निर्धारिती .... (स्थायी खाता संख्यांक सहित निर्धारिती का नाम और पता) के लेखाओं और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है।

2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं* कि निर्धारण वर्ष........................की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा जजकक की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा किए जाने वाली कटौती .... रूपए है, जिसका अवधारण पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती द्वारा उक्त कारबार की दशा में उपगत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के आधार पर किया गया है। उक्त रकम के इस प्ररूप को उपाबंध में दिए गए ब्यौरों के आधार पर निकाली गई है।

स्थान .... (लेखपाल के हस्ताक्षर और मुद्रा)

तारीख .... हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....

पूरा पता...............................

सदस्यता संख्या ....

टिप्पणः

1. *जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।
2. यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 32) के अर्थांतर्गत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन विधिमान्य व्यवसाय प्रमाण पत्र है और जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है।
3. यदि इस रिपोर्ट में उल्लिखित बात का उत्तर नकारात्मक है या कोई शर्त लगाकर दिया गया है तो उसके लिए कारण अवश्य दिए जाने चाहिए।

---

1. आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा **18.12.2019** से प्रतिस्थापित।

उपाबंध

(प्ररूप 10घक का पैरा 2 देखिए)

1.	निर्धारिती का नाम					
2.	निर्धारिती का पता					
3.	निर्धारिती का स्थायी खाता संख्यांक आधार संख्या					
4.	निर्धारण वर्ष					
5.	अतिरिक्त कर्मचारी उपगत लागत					
	(1)	किसी विद्यमान कारबार की दशा में				
		(क)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को कर्मचारी की संख्या			
		(ख)	पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारी की संख्या			
		(ग)	ऐसे अतिरिक्त अधिकारियों की संख्या **जिनकी उपलब्धियां धारा 80ञञकक के अधीन कटौती के लिए पात्र हैः-			
			(*i*)	पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित	ग(i)	
			(*ii*)	तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान नियोजित	ग(ii)	
			(*iii*)	कुल [ग(i) + ग(ii)]	ग(iii)	
		(घ)	निम्नलिखित के संबंध में, अतिरिक्त कर्मचारी को संदत्त या संदेय उपलब्धियों **की कुल रकम जो धारा ञञकक अधीन/कतौटी के हकदार है,-			
			(*i*)	(ग)(i)में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(i)	
			(*ii*)	(ग)(ii)में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर्मचारी	घ(ii)	
			(*iii*)	कुल रकम#[घ(i) + घ(ii)]		घ(iii)
		(ङ)	निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों को संदेय या संदत्त उपलब्धियों के संदाय के संबंध में धारा 80ञकक के अधीन कटौती के लिए पात्र कुल रकम,-			
			(*i*)	पूर्ववर्ष [(घ)(iii) में संगणित रकम का प्रतिशत 30]	ङ(i)	
			(*ii*)	पूर्ववर्ष का तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष	ङ(ii)	
			(*iii*)	पूर्ववर्ष के तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष के पहले का वर्ष	ङ(iii)	
			(*iv*)	कुल [ङ (i) + ङ (ii) + ङ(iii)]#	ङ(iv)	
		II	किसी नए कारबार की दशा में, कारबार के प्रथम वर्ष# के दौरान नियोजित अतिरिक्त कर्मचारियों को संदत्त या संदेय उपलब्धियों** की रकम का 30 प्रतिशत,			
		6.	टिप्पणियां			

टिप्पणः

1. *''अतिरिक्त कर्मचारी'' से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे पूर्व वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है और

जिसके नियोजन से नियोजक द्वारा पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,-

(क) ऐसा कर्मचारी जिसकी कुल उपलब्धियां पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास से अधिक हैं; या

(ख) ऐसा कर्मचारी जिसके लिए संपूर्ण अभिदाय का कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कर्मचारी पेंशन स्कीम के अधीन सरकार द्वारा संदाय किया जाता है; या

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान दो सौ और चालीस दिवस से कम की अवधि के लिए (परिधान के विनिर्माण के कारबार में लगे किसी निर्धारिती की दशा में एक सौ पचास दिवस) नियोजित कोई कर्मचारी; या

(घ) ऐसा कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में सहभागी नहीं है।

2. **"उपलब्धियां" से किसी कर्मचारी को उसके नियोजन के बदले में उसे संदत्त या संदेय कोई धनराशि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैंः-

(क) नियोजक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिए किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि या किसी अन्य निधि में संदत्त या संदेय कोई अभिदाय; और

(ख) किसी कर्मचारी को उसकी सेवा के पर्यवसान या अधिवर्षिता या स्वैच्छया निवृत्ति के समय संदत्त या संदेय उपदान, पृथक्करण वेतन, अवकाश नकदीकरण, स्वैच्छया निवृत्ति संबंधी फायदे, पेंशन का सरांशिकरण और वैसा ही कोई अन्य एकमुश्त संदाय।

3. #रकम में खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली द्वारा या किसी अन्य विहित इलैक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से भिन्न संदत्त उपलब्धियां सम्मिलित नहीं होगी।